न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी, जिला-जयपुर

वाद क्रमांक : 96 /2005 (2005/00144)

शंकर पुत्र हनुमान उम्र 6 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका बुआ मु0 लल्ली बेवा गणपत उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम मूण्डली, तहसील बस्सी, जिला-जयपुर। जाति जांगिड़ ब्राह्मण

-- वादी

ब ना म

1. मु0 धापू बेवा हनुमान जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ग्राम मूण्डली तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला-जयपुर ।
3. ग्राम पंचायत काशीपुरा, जरिये सरपंच, तहसील बस्सी, जिला-जयपुर (राज.)
4. उप पंजियक, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला- जयपुर ।

-- प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

श्रीमान् जी,

वाद वादी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :-

(1) यह है कि विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 53 रकबा 3 बिस्वा, ख.नं. 54 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 54/1 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, 54/2 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 54/3 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 54/4 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 54/5 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मूण्डली तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है।

(2) यह है कि विवादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक आराजी है जिसका नजरा निम्न प्रकार हैं :-

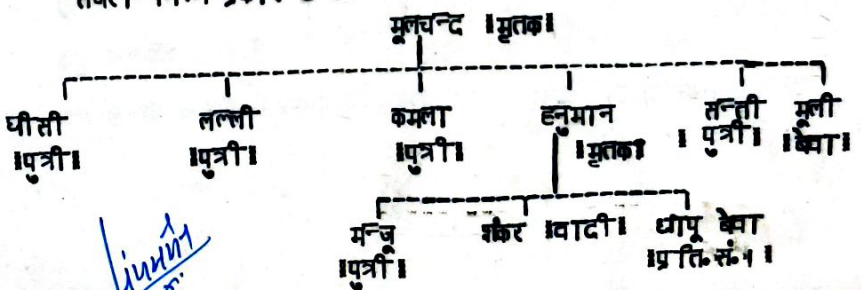

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय SDO [illegible] बनाम [illegible]

केस संख्या 96/05 (2005/00144)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	28-10-10	पत्रावली प्रस्तुत हुई। [illegible] कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली ता० 16-11-10 को प्रस्तुत हो। 28-10-10
	16-11-10	पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O सारा राजस्व कैम्प कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली ता० 4-1-11 को प्रस्तुत हो। 16-11-10
	4-1-11	पत्रावली प्रस्तुत हुई। दकुलाय द्वारा कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली ता 28-2-11 को प्रस्तुत हो। 4-1-11
	28-2-011	पत्रावली प्रस्तुत हुई। [illegible] कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। स्थगित। पत्रावली ता 4-4-011 को प्रस्तुत हो। 28-2-011
Identified By [illegible] 17/3/11	17-3-011 नि. [illegible]	पत्रावली शीघ्र सुनवाई हेतु पेश हुई। वकील वादी व संयुक्त वादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र जरिये सरस्वती देवी पत्नि स्व. गणपत जी जाति जांगिड उपस्थित हो कर वाद विड्रा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपस्थित वादी की अंगूठा निशानी करवाई गई जिसकी पहचान वकील वादी संजय जैन ने की है। अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर वकील को सुनकर प्रार्थना पत्र वाद विड्रा का स्वीकार किया जाता है। दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 17-3-011